न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 50/2024

दायर दिनांक 26.02.2024

निर्णय दिनांक 16.04.2024

उनवान

1. सुनीता मानसिंहका पत्नी राजेन्द्र मानसिंहका, आयु वयस्क, निवासी–8–ई–18–ई–29, आर.सी. व्यास कोलोनी, भीलवाड़ा (राज.)
2. सीमा मानसिंहका पत्नी सुनील कुमार मानसिंहका, आयु वयस्क, निवासी–8–ई–18–ई–29, आर.सी. व्यास कोलोनी, भीलवाड़ा (राज.)
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द्र मानसिंहका, आयु निवासी–8–ई–18–ई–29, आर.सी. व्यास कोलोनी, भीलवाड़ा (राज.) वयस्क,
4. सुनील कुमार पुत्र रमेशचन्द्र मानसिंहका, आयु वयस्क, निवासी–8–ई–18–ई–29, आर. सी. व्यास कोलोनी, भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. उषा पत्नी महेश कुमार सुवालका, आयु वयस्क, निवासी–खेराडीवाला, तहसील व जिला–भीलवाड़ा (राज.)
2. गायत्री पुत्री महेश कुमार सुवालका, आयु वयस्क, निवासी–खेराडीवाला तहसील व जिला–भीलवाड़ा (राज.)
3. प्रतिभा पुत्री महेश कुमार सुवालका, आयु वयस्क, निवासी–खेराडीवाला, तहसील व जिला–भीलवाड़ा (राज.)
4. पूनम पत्नी गौरव कुमार सुवालका, आयु वयस्क, निवासी–नवकान ग्रीन्स, पार्श्वनाथ सोसायटी, भीलवाड़ा (राज.)
5. भुवनेश पुत्र महेश कुमार सुवालका, आयु वयस्क, निवासी–खेराडीवाला, तहसील व जिला–भीलवाड़ा (राज.)
6. हर्षवर्धन पुत्र महेश कुमार सुवालका, आयु वयस्क, निवासी–खेराडीवाला, तहसील व जिला–भीलवाड़ा (राज.)
7. नगर विकास न्यास जरिये सचिव, नगर विकास न्यास भीलवाड़ा (राज.)
8. रेलवे विभाग जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, भीलवाड़ा (राज.)
9. अखिल भारतीय साधुमार्गी शान्त क्रांति जैन श्रावक संघ, शाखा–भीलवाड़ा (राज.) जरिये ज्ञानप्रकाश पुत्र श्री हिम्मतमल सांखला, ज्ञाने सेल्स कॉपोरेशन, हरीभाई कचौरी के सामने, सरकारी दरवाजा, भीलवाड़ा (राज.)

– विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी दीपक मित्तल

अप्रार्थी उपस्थित नहीं

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: **निर्णय** :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गठिलाखेड़ा प0ह0 गठिलाखेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 369 की अभिलिखित आराजियात 1307/518 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3540 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 03 व 05 से 09 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 04 ने अपने जवाब के मजिद कथन में प्रार्थी की आराजी नं0 1307/518 के पड़ोस विपक्षी के आराजी नम्बर 518/1 के नहीं होना अंकीत किया है, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा फोटो प्रति में आराजी नम्बर 1307/518 के पड़ोसी आराजी नम्बर 518/1 दर्ज है। विपक्षी संख्या 04 की आपती विश्वसनीय नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा गठिलाखेड़ा प0ह0 गठिलाखेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 369 की अभिलिखित आराजियात 1307/518 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3540 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा

पत्रावली को निर्णीत इन्द्राज को जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा